

(7)  
समाहरणालय, पटना।  
(शस्त्र शाखा)

फोन नं० 0612-2219545 (का०)  
फैक्स नं०-0612-2218900  
Email : dampatnaarmssection@gmail.com  
dm-patna.bih@nic.in

28-05-2013

—: आदेश :—

विविध शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या-9-501/2011 में आवेदक श्री मृत्युंजय कुमार सिंह, पिता-श्री रामाधार सिंह, सा०-ज्योति काम्प्लेक्स, मांटेसरी स्कूल लेन, बोरिंग रोड, थाना-श्रीकृष्णापुरी, जिला-पटना, स्थायी पता-ग्राम+पो०-खननीकला, थाना-अंगिआँवा बाजार, जिला-भोजपुर से प्राप्त एक एन०पी०बोर रिवाल्वर/पिस्टल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन-पत्र पर वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की गयी।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक-28.05.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे बिहार सरकार के अधीन पुलिस विभाग में अवर निरीक्षक के पद पर कार्यरत हैं तथा बिहार पुलिस एसोसिएशन के प्रान्तीय अध्यक्ष के पद पर हैं। उनके द्वारा अपने सरकारी कर्तव्य निर्वहन के दौरान कई कुख्यात उग्रवादी एवं अपराधियों को शस्त्र के साथ गिरफ्तार किया गया है एवं पूर्व में उग्रवादियों से उनकी मुठभेड़ भी हो चुकी है। उनके द्वारा अपने जान-माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना का पत्रांक-1591/गो०, दिनांक-28.12.2012 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र जाँचोपरान्त मूल में अग्रसारित किया गया है। पुलिस उपाधीक्षक, सचिवालय, पटना के ज्ञापांक-65/सचि०, दिनांक-26.12.2012 द्वारा आवेदक के आवेदित शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अग्रसारित कर अवलोकनार्थ भेजी गयी है। थानाध्यक्ष, श्रीकृष्णापुरी, पटना द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक बिहार सरकार के अधीन पुलिस विभाग में अवर निरीक्षक के पद पर कार्यरत हैं तथा बिहार पुलिस एसोसिएशन के प्रान्तीय अध्यक्ष के पद पर हैं। उनके द्वारा अपने सरकारी कर्तव्य निर्वहन के दौरान कई कुख्यात उग्रवादी एवं अपराधियों को शस्त्र के साथ गिरफ्तार किया गया है एवं पूर्व में उग्रवादियों से उनकी मुठभेड़ भी हो चुकी है। इनके जान-माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र का अनुशंसा किया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताये गये तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन के



पश्चात अधोहस्ताक्षरी को प्रतीत होता है कि आवेदक को अपने जान-माल की सुरक्षा के बिन्दु पर भय/खतरा है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 3, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताये गये तथ्यों एवं गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संकल्प सं०-V-11016/16/ 2009, शस्त्र दिनांक-31.03.2010 में निहित निर्देश के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त श्री मृत्युंजय कुमार सिंह, पिता-श्री रामाधार सिंह, सा०-ज्योति काम्लेक्स, मांटेसरी स्कूल लेन, बोरिंग रोड, थाना-श्रीकृष्णापुरी, जिला-पटना, स्थायी पता-ग्राम+पो०-खननीकला, थाना-अंगिआँवा बाजार, जिला-भोजपुर को उनके जान-माल की सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण बिहार राज्य क्षेत्राधिकार के लिए मान्य एक एन०पी०बोर रिवाल्वर/पिस्टल शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

श्री सिंह को आदेश दिया जाता है कि वे विहित सरकारी शीर्ष में अपेक्षित अनुज्ञप्ति शुल्क कोषागार चालान के माध्यम से जेमा कर चालान की मूल प्रति, पासपोर्ट साईज का दो अभिप्रमाणित फोटो एवं एक सादी अनुज्ञप्ति पुस्त अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर शस्त्र पंजी में प्रविष्टि कराने के उपरान्त उक्त अनुज्ञप्ति पुस्त प्राप्त कर लेंगे।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।



जिला दण्डाधिकारी,  
पटना।



जिला दण्डाधिकारी,  
पटना।